बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना हेतु दिनांक–02.08.2019 को आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

अभियन्ता प्रमुख
पत्र पंजी 16 AUG 2019 5524 बिहार, पटना
प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग 16 AUG 2019 11293 बिहार, पटना

1. **उपस्थिति–अलग से संधारित।**
2. राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना हेतु प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जानकारी दी गयी। इस बैठक में अर्थ नेटवर्क (Earth Networks, Inc.) के प्रतिनिधि श्री कुमार मार्गासहायम् एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव श्री सांवर भारती भी उपस्थित थे। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में वज्रपात की घटनाओं एवं तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिससे काफी संख्या में मानव क्षति हुई है। दिनांक 27.07.2019 को सभी जिला पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा तथा दिनांक 30.07.2019 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 12वीं बैठक के दौरान माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा राज्य में वज्रपात की घटनाओं से होने वाली मृत्यु में वृद्धि होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए वज्रपात की पूर्व चेतावनी देने वाले यंत्र की स्थापना हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

   प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में वज्रपात पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में की गयी है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं ओडिसा में इसकी स्थापना अर्थ नेटवर्क कम्पनी के साथ नामांकन के आधार पर किया गया है।

   अर्थ नेटवर्क कम्पनी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि वज्रपात की पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से कम्पनी के द्वारा किसी स्थान विशेष पर वज्रपात होने की सूचना 30 से 45 मिनट पूर्व दी जाती है। प्राप्त पूर्व सूचना को प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लोगों तक मोबाईल ऐप, एस.एम.एस. आदि के माध्यम से पहुँचाया जाता है। सूचना प्रेषण का कार्य अर्थ नेटवर्क कम्पनी के द्वारा नहीं किया जाता है। इस कार्य हेतु अलग से कार्रवाई की जानी होगी।

   प्रधान सचिव के द्वारा बताया गया कि राज्य में वज्रपात की घटनाओं से अत्यधिक संख्या में लोगों की हो रही मृत्यु से उत्पन्न आकस्किता को देखते हुए एवं *आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उडिसा, पश्चिम बंगाल* आदि राज्यों में अर्थ नेटवर्क कम्पनी के माध्यम से वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित किये जाने के आलोक में बिहार राज्य में भी वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली तुरन्त स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इसकी स्थापना से आमजनों को होने वाले वज्रपात की पूर्व चेतावनी देकर वज्रपात के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लायी जा सकती है। फलस्वरूप वज्रपात आपदा के कारण दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की कुल राशि में भी कमी लायी जा सकती है।

   प्रधान सचिव के द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि आपदा की स्थिति में आकस्मिकता को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुमोदन पर संसाधनों का उपयोजन (Procurement) किये जाने का प्रावधान किया गया है एवं धारा 24 के अंतर्गत राज्य कार्यकारिणी समिति को आपदा की स्थिति में संबंधित विभाग, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को निदेश देने का अधिकार दिया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 में निम्न प्रावधान किया है : –

"Emergency procurement and accounting.- Where by reason of any threatening disaster situation or disaster, the National Authority or the State Authority or the District Authority is satisfied that immediate procurement of provisions or materials or the immediate application of resources are necessary for rescue or relief-

(a) it may authorise the concerned department or authority to make the emergency procurement and in such case, the standard procedure requiring inviting of tenders shall be deemed to be waived;

(b) a certificate about utilisation of provisions or materials by the controlling officer authorised by the National Authority, State Authority or District Authority, as the case may be, shall be deemed to be a valid document or voucher for the purpose of accounting of emergency, procurement of such provisions or materials."

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जानकारी दी गयी कि विगत वर्षो में वज्रपात की घटनाओं एवं तीव्रता में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप वज्रपात की घटनाओं के कारण राज्य में काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में राज्य में वज्रपात के कारण मृत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 107, 180 एवं 139 प्रतिवेदित है। वर्त्तमान वर्ष 2019 में भी अबतक (दिनांक– 31.07.2019 तक) कुल 172 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें मात्र एक दिन में (दिनांक–23.07.2019 को) 39 व्यक्तियों की हुई मृत्यु शामिल है। इतनी अधिक संख्या में मानव क्षति के आलोक में वज्रपात से होने वाले मृत्यु की दर में कमी लाने के लिए वज्रपात पूर्व चेतावनी प्रणाली के अधिष्ठापन की तत्काल आवश्यकता है।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना हेतु नामांकन (Nomination) के आधार पर अर्थ नेटवर्क (Earth Networks, Inc) के साथ 4 वर्षो के लिए समझौता/करार किया जा सकता है। इस पूर्व चेतावनी प्रणाली की अधिष्ठापन पर कुल 40 लाख रूपये प्रतिवर्ष का व्यय संभावित है। साथ ही अर्थ नेटवर्क (Earth Networks, Inc) के द्वारा वज्रपात घटित होने के संबंध में पूर्व सूचना प्राप्त होने पर मोबाईल ऐप के माध्यम से लोगों तक सूचना के प्रेषण हेतु कीहु साल्युशॉन्स (Qihou Solutions) बंगलौर के साथ करार/समझौता किया जा सकता है, जिसपर लगभग 8 लाख रूपये एकमुश्त व्यय होने की संभावना है। वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना एवं मोबाईल ऐप पर व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से करने का अनुरोध किया जा सकता है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव,
बिहार

(107)

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0(CMG)–18/2019/2625/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 14-8-19

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/समाज कल्याण विभाग/कृषि विभाग/पथ निर्माण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, फुलवारी शरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एम0 रामचन्द्रुडु)
अपर सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0(CMG)–18/2019/2625/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 14-8-19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0(CMG)–18/2019/2625/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 14-8-19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–11/अ0प्र0–01–29/2014 6115 **पटना, दिनांक**–26.8.19

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख